रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 2009/चैत्र 16, 1931
No. 207] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2009/CHAITRA 16, 1931

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 240(अ).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली, 2004 (विश्वविद्यालयों का निरीक्षण) के प्रतिस्थापन में इस प्रकार के प्रतिस्थापन से पहले किए गए कार्यों अथवा किए न जाने वाले कार्यों के अलावा केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाए :–

1. लघु शीर्ष तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली, 2009 (विश्वविद्यालयों का निरीक्षण) कहा जाए ।

(2) इन्हें सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू किया जाएगा ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में निम्नलिखित अपेक्षित होगा;

(क) "अधिनियम" का आशय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) है;

(ख) "केन्द्रीय विश्वविद्यालय" का आशय संसद अधिनियम द्वारा अथवा के तहत स्थापित विश्वविद्यालय है;

(ग) "समिति" का आशय नियम 3 के तहत गठित जांच समिति से है;

(घ) "परिषद" का आशय शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में स्तरों के रखरखाव के लिए संसद के अधिनियम द्वारा अथवा के तहत स्थापित नियामक निकाय है तथा इसमें शामिल है,

(i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद;
(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;
(iii) भारतीय चिकित्सा परिषद;
(iv) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद;
(v) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद;
(vi) भारतीय दंत परिषद;
(vii) भारतीय भेषज परिषद;
(viii) भारतीय नर्सिंग परिषद;
(ix) भारतीय बार परिषद;
(x) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद;
(xi) भारतीय केन्द्रीय मेडिसन परिषद;
(xii) वास्तुकला परिषद;
(xiii) दूरस्थ शिक्षा परिषद;

(ङ) वित्तीय वर्ष का आशय एक अप्रैल से शुरू होने वाले तथा आगामी कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष है;

(च) "एनएएसी" का आशय राष्ट्रीय अकादमिक एवं प्रत्यायन परिषद है;

(छ) "धारा" का आशय अधिनियम की धारा से है;

(ज) "राज्य विश्वविद्यालय" का आशय राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा अथवा के तहत स्थापित विश्वविद्यालय

है परंतु इसमें राज्य विधान मंडल के तहत स्थापित प्राइवेट विश्वविद्यालय शामिल नहीं है;

(झ) "विश्वविद्यालय" का आशय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत परिभाषित अकादमिक संस्था से है ।

(2) अधिनियम में परिभाषित प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, को इस अधिनियम में उनको निर्धारित अर्थ में किया जाएगा ।

3. जांच समिति.—(1) आयोग किसी विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने और इसके शिक्षण स्तर परीक्षा और अनुसंधान या फिर दोनों को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम क धारा 13 के तहत प्रदान शक्तियों के तहत एक निरीक्षण समिति की नियुक्ति करेगा ।

(2) इस समिति में नामत: निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(i) किसी केन्द्रीय या राज्य विश्वविद्यालय में सेवारत या सेवानिवृत्त दो कुलपति ।

(ii) विश्वविद्यालय में निरीक्षण किए जाने वाले संचालित पाठ्यक्रम में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों में तीन से कम तथा पांच से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिएं जिनमें से एक सदस्य महिला होगी:

बशर्ते निरीक्षण किए जाने वाले विश्वविद्यालय में खंड (i) तथा खंड (ii) के तहत कोई भी कर्मचारी भूतकाल या वर्तमान में समिति का सदस्य नहीं होगा ।

(iii) विश्वविद्यालय में निरीक्षण किए जाने वाले संचालित पाठ्यक्रम के क्षेत्राधिकार वाली प्रत्येक परिषदों में से एक सदस्य ।

(iv) राष्ट्रीय अकादमिक एवं मूल्यांकन परिषद या इसके समकक्ष प्राधिकृत प्रत्यायन एजेंसी का एक सदस्य ।

(3) आयोग समिति के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने के लिए खंड (i) उप-खंड (2) के तहत नियुक्त सदस्यों में से एक सदस्य को नामित करेगा ।

(4) आयोग समति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करने के लिए खंड (ii) उपखंड (2) के तहत नियुक्त सदस्यों में से एक सदस्य को नामित करेगा ।

4. निरीक्षण की अवधि.—किसी विश्वविद्यालय की निरीक्षण की अवधि निम्न प्रकार से होगी :

(1) एक विश्वविद्यालय जिसको राष्ट्रीय अकादमिक एवं प्रत्यायन परिषद या इसके समकक्ष प्राधिकृत प्रत्यायन एजेंसी द्वारा प्रत्यायित किया गया है तथा जिसे 'बी' वर्ग या इससे ऊपर या इसके समकक्ष दर्जा प्रदान किया गया है, उसको आयोग द्वारा ऐसे प्रत्यायन की वैधता की दिनांक तक निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(2) एक विश्वविद्यालय जो पांच वर्षों से कम अवधि से अस्तित्व में है तथा जिसे उप-नियम (1) के तहत शामिल नहीं किया गया है, उसका वार्षिक तौर पर निरीक्षण किया जाएगा।

(3) एक विश्वविद्यालय जो पांच वर्षों से अधिक अवधि से अस्तित्व में है तथा जिसे उप-नियम (1) के तहत शामिल किया गया है, उसका निरीक्षण प्रत्येक दो वर्षों में एक बार किया जाएगा:

बशर्ते कि किसी विश्वविद्यालय का किसी जरूरत की वजह से इस नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के पूरा होने से पहले भी निरीक्षण किया जा सकता है, आयोग द्वारा इसका विशेष तौर पर रिकार्ड रखा जाएगा जो आयोग के विचार से ऐसे निरीक्षण की अनुमति देता है ।

5. विश्वविद्यालय के निरीक्षण की स्कीम.—(1) आयोग प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में सभी विश्वविद्यालयों के निरीक्षण की स्कीम को अधिसूचित करेगा ।

(2) आम लोगों की सूचना के लिए उप-नियम (1) के तहत तैयार की गई निरीक्षण की स्कीम को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

(3) आयोग इन नियमों के सलंग्न के रूप में संलग्नित फार्म में विश्वविद्यालयों को सूचित करेगा, यह उस अवधि के दौरान किया जाएगा जब समिति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा ।

6. विश्वविद्यालय से परामर्श.—(1) समिति निरीक्षण किए जाने वाले विश्वविद्यालय से परामर्श करेगा ताकि विश्वविद्यालय को ऐसे निरीक्षण की विषयवस्तु पर अपने विचार उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रदान की जा सके ।

(2) ऐसे परामर्श के उद्देश्यार्थ विश्वविद्यालय तीन से अधिक प्रतिनिधियों को नामित नहीं करेगा जिनमें कुलपति या रजिस्ट्रार या ऐसे अधिकारी या अध्यापक शामिल हो सकते हैं जिनको विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा नामित किया जाता है, और वे विश्वविद्यालय के विचारों का प्रतिनिधित्व करेंगे तथा उनके नाम आयोग को भेजे जायेंगे ।

(3) यदि समिति किसी संकाय या विभाग या विश्वविद्यालय के किसी भाग या भागों के भौतिक निरीक्षण का प्रस्ताव करती है तो विश्वविद्यालय के नामित लोगों को ऐसे निरीक्षण में शामिल किया जाएगा परंतु विश्वविद्यालय के ये नामित लोग समिति के सदस्य नहीं माने जायेंगे ।

(4) इस नियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा जो समिति को अन्य ऐसे कर्मचारियों या विश्वविद्यालय के विजिटिंग संकाय से विचार विमर्श करने से रोकता हो जो समिति द्वारा तथ्यों पर पहुंचने के लिए आवश्यक समझा जाए ।

व्याख्या

इस नियम के उद्देश्य के लिए, "परामर्श" या "सहयोग" जैसे शब्दों का अर्थ पर्यवेक्षण प्रक्रिया के दौरान उठाए गए प्रश्नों के सम्बन्ध में विचार करना अथवा सूचना की मांग करना अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त करना है लेकिन यह विश्वविद्यालय के नामिती को किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए समिति के आंतरिक विचार-विमर्श किसी भी प्रकार से भाग लेने या आयोग को किसी भी प्रकार का निर्णय या सिफारिश करने का अधिकार नहीं प्रदान करता है।

7. जांच प्रक्रिया के लिए समय सारणी.—(1) उप-नियम (3) और (5) के तहत जांच के लिए आयोग द्वारा निर्धारित की गई तारीख से एक माह के भीतर समिति निर्धारित सिफारिशों सहित अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जांच प्रक्रिया के दौरान यदि कोई बड़ी वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो समिति अपनी रिपोर्ट में उस अनियमितता के लिए विशिष्ट ध्यान केन्द्रित करवाएगी ।

(2) नियम 6 के तहत विश्वविद्यालय के नामिती द्वारा जांच से संबंधित कोई अवलोकन, टिप्पणियाँ या स्पष्टीकरण, यदि कोई हो तो समिति अपनी रिपोर्ट में उसे शामिल करेगी ।

(3) आयोग, समिति से रिपोर्ट प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर, संबंधित विश्वविद्यालय को अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट भेजेगा ताकि विश्वविद्यालय उन सिफारिशों अथवा अन्य टिप्पणियाँ अथवा विचारों पर कार्य योजना जो विश्वविद्यालय प्रदान करना चाहे, प्रस्तुत कर सके ।

(4) उप नियम-3 के तहत आयोग से सूचना प्राप्त होने के 1 माह के अन्दर विश्वविद्यालय अपनी कार्य योजना या ऐसी अन्य टिप्पणियां या विचार प्रस्तुत करेगा, ऐसा न होने पर आयोग यह मानकर आगे की कार्रवाई करेगा कि विश्वविद्यालय रिपोर्ट और इसकी सिफारिशों पर किसी प्रकार की टिप्पणी या विचार प्रस्तुत नहीं करना चाहता है ।

(5) आयोग विश्वविद्यालय से प्राप्त किसी प्रत्युत्तर यदि कोई हो, पर विचार करेगा और इस प्रकार का प्रत्युत्तर प्राप्त होने के एक माह के अंदर इस प्रकार की जांच प्रक्रिया के परिणामस्वरूप की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विश्वविद्यालय की सिफारिश करेगा ।

(6) सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए विश्वविद्यालय को दिया गया समय, आयोग से निर्णय प्राप्ति की दिनांक से अधिकतम छः माह तक होना चाहिए बशर्ते ऐसे मामले में जहां आयोग ने विश्वविद्यालय को कार्रवाई करने के लिए छः माह से अधिक का समय दिया है, तो वह प्रदान किए गए समय और उसके कारणों का विशेष रूप से रिकार्ड रखे ।

(8) दिशानिर्देशों के पालन में असुल रहने पर नियम (7) के उप-नियम (5) के अंतर्गत आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को विश्वविद्यालय द्वारा लागू न कर पाने पर या आयोग द्वारा चिन्हित कमियों को पूरा न करने अथवा नियम (7) के उप-नियम (6) के तहत समय पर कार्य पूरा न करने या नियम (7) के उप-नियम (1) के तहत विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय अनियमितता करने और उस संबंध में समिति द्वारा रिपोर्ट किए जाने पर अधिनियम की धारा (1) के साथ ही धारा 14 के तहत विश्वविद्यालय के विरुद्ध कदम उठाएगी ।

(9) **निर्देश जारी करने संबंधी केन्द्र सरकार का अधिकार :** इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय की जांच करने के लिए निदेश दे सकती है जब शिक्षण, परीक्षा और शोध के स्तर को सुधारने या केन्द्र सरकार के ध्यान में लाई गई वित्तीय अनियमितता के मामलों की जांच करना हो ।

[सं. फा. 4-41/2003-यू 1/यू1ए]

सुनील कुमार, संयुक्त सचिव

संलग्नक

परिपत्र

(नियम 5 देखें)

निरीक्षण किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम/ब्यौरे	प्रस्तावित निरीक्षण की तारीख से तक	निरीक्षण के लिए अपेक्षित रिकार्ड/ कागजात	निरीक्षण करने वाली समिति के सदस्यों के नाम	निरीक्षण में सहयोग करने वाले विश्वविद्यालय के अधिकारियों के नाम और ब्यौरे	अन्य अतिरिक्त अपेक्षित सूचना	अभ्युक्तियाँ
(1)	(2) (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

परिपत्र

(नियम 5 देखें)

क्र. सं.	निरीक्षण करने वाले विश्व-विद्यालय का नाम/ब्यौरे	प्रस्तावित निरीक्षण की अवधि		निरीक्षण के लिए अपेक्षित रिकार्डों/ कागजातों के ब्यौरे	नियम 3 के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति के सदस्यों के नाम	नियम 6 के अंतर्गत परामर्श/सहयोग किए जाने वाले विश्व-विद्यालय के प्राधि-कारियों, अधिकारियों, शिक्षकों के नाम और ब्यौरे	अन्य अतिरिक्त अपेक्षित सूचना	अभ्युक्तियां
		से	तक					

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2009

G.S.R. 240(E).— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of Section 25 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the University Grants Commission (Inspection of Universities) Rules, 2004, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the University Grants Commission (Inspection of Universities) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);

(b) "Central University" means a University established by or under an Act of Parliament;

(c) "Committee" means the Inspection Committee constituted under rule 3;

(d) "Council" means a regulatory body established by or under an Act of Parliament for maintenance of standards in a particular field of education and includes,

(i) All India Council for Technical Education;

(ii) University Grants Commission;

(iii) Medical Council of India;

(iv) Indian Council for Agricultural Research;

(v) National Council for Teacher Education;

(vi) Dental Council of India;

(vii) Pharmacy Council of India;

(viii) Indian Nursing Council;

(ix) Bar Council of India;

(x) Central Council of Homeopathy;

(xi) Central Council for Indian Medicine;

(xii) Council of Architecture;

(xiii) Distance Education Council;

(e) "Financial Year" means the year commencing on the 1st day of April and ending on the 31st day of March of the following calendar year;

(f) "NAAC" means the National Academic and Accreditation Council;

(g) "section" means section of the Act;

(h) "State University" means a university established by or under an Act of a State Legislature but does not include a Private University established under a State legislation;

(i) "University" means an academic institution defined under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Inspection Committee.—(1) The Commission shall appoint an Inspection Committee, as provided under Section 13 of the Act, for the purpose of ascertaining the financial needs of a University or its standards of teaching, examination and research, or for both.

2. The Committee shall consist of the following members, namely :—

(i) two Vice-Chancellors, either serving or retired, from any Central or State University.

(ii) not less than three and not more than five members, out of which one member shall be a woman, from amongst professors in any University, having special knowledge of the courses being conducted in the University to be inspected :

Provided that none of the members of the Committee under clauses (i) and (ii) shall be employee, whether past or present, of the University to be inspected.

(iii) one member from each of the Councils exercising jurisdiction over the courses being conducted in the University to be inspected.

(iv) one member from National Academic and Accreditation Council or an equivalent authorised accreditation agency.

(3) The Commission shall nominate one of the members appointed under clause (i) of sub-rule (2) to act as the Chairman of the Committee.

(4) The Commission shall nominate one of the members appointed under clause (ii) of sub-rule (2) to act as the Member-Secretary of the Committee.

4. Periodicity of Inspections.—The periodicity of inspections of a University shall be as under :

(1) A University which has been accredited by National Academic and Accreditation Council or an equivalent authorised accreditation agency and which has been rated as Class "B" or above or its equivalent, need not be inspected by the Commission till the date of validity of such accreditation.

(2) A University which has been in existence for a period not exceeding five years and not covered under sub-rule (1) shall be inspected annually.

(3) A University which has been in existence for a period exceeding five years and not covered under sub-rule (1) shall be inspected once in every two years :

Provided that a University may be inspected before the expiry of the period specified in this rule on account of any exigency, to be specifically recorded by the Commission, which, in the opinion of the Commission, warrants such inspection.

5. Scheme of Inspection of University.—(1) The Commission shall notify a scheme for inspection of all the Universities in the month of January every year.

(2) The scheme of inspection prepared under sub-rule (1) shall also be made available on the website of the Commission for general information.

(3) The Commission shall communicate to the University in the Form annexed to these rules, the period during which the inspection shall be carried out by the Committee.

6. Consultations with the University.—(1) The Committee shall hold consultations with the University to be inspected so as to facilitate the University to provide its views on the subject-matter of such inspection.

(2) For the purpose of such consultations, the University shall nominate not more than three representatives who may include the Vice-Chancellor or the Registrar or such other officers or teachers as may be nominated by the Vice-Chancellor of the University, and who shall represent the views of the University, and their names shall be communicated to the Commission.

(3) If the Committee proposes to physically inspect any faculty or department or any part or parts of the University, the nominees of the University shall be associated in such inspection but the nominees of the University shall not be considered as members of the Committee.

(4) Nothing in this rule shall preclude the Committee from having discussions with such other employee(s) or visiting faculty of the University as may be considered necessary by the Committee for arriving at the facts.

Explanation : For the purpose of this rule, the words "consultations" or "association" shall mean the holding of discussions or seeking information or obtaining clarifications to queries that may arise during the course of the inspection process but shall not provide a right to the nominees of the University to be part of the internal deliberations of the Committee for the purpose of arriving at any conclusion or providing any recommendation to the Commission.

7. Time frame for the Inspection Process.—(1) The Committee shall submit its detailed report along with recommendations within one month from the date the Commission has fixed for inspection under sub-rule (3) of rule 5 and in case any grave financial irregularity is noticed during the inspection process, the Committee shall specifically draw attention to such irregularity in its report.

(2) The report of the Committee shall include the observations or comments or clarifications, if any, provided by the nominees of the University associated with the inspection under rule 6.

(3) The Commission shall forthwith, but not later than fifteen days from the date of receipt of the report of the Committee, communicate the report along with the recommendations to the University concerned for submitting a plan of action for acting upon the recommendations or such other comments or opinions as the University may like to provide.

(4) The University shall submit its plan of action or such other comments or opinions within a period of one month from the date of receipt of communication from the Commission under sub-rule (3), failing which the Commission shall proceed further on the assumption that the University has no comment or opinion to offer on the report and its recommendations.

(5) The Commission shall consider the response, if any, received from the University and recommend to the University, the action to be taken as a result of such inspection process, within one month from the date of receipt of response.

(6) The time provided to the University for acting upon the recommendations should not exceed six months from the date of decision of the Commission :

Provided that in case the Commission decides to provide a time period exceeding six months for acting upon any recommendation or set of recommendations, it shall specifically record the time period so provided and the reasons thereof.

8. Failure to comply with directions.—The failure on the part of the University to implement the recommendations of the Commission or to rectify the shortcomings pointed out by the Commission under sub-rule (5) of rule 7 within the time period specified under sub-rule (6) of rule 7, or regarding any financial irregularities committed by the University and reported by the Committee under sub-rule (1) of rule 7, shall render the University liable for action under Section 14 of the Act besides the action under Section 12B of the Act.

9. Power of the Central Government to issue directions.—Notwithstanding anything contained in these rules, the Central Government may direct the University Grants Commission to conduct the inspection of a University as and when deemed necessary to safeguard the standards of teaching, examination and research or to inquire into cases of financial irregularity brought to the notice of the Central Government.

[No. F. 4-41/2003-UI/UIA]

SUNIL KUMAR, Jt. Secy.

ANNEXURE

Form

(See Rule 5)

Name/ particulars of the University proposed to be inspected	Date of proposed Inspection		Records/ papers required for inspection	Name (s) of Members of the Committee conducting the inspection	Name and particulars of the authorities of the University who may be associated in the inspection	Any other additional informations which may be required	Remarks
	From	To					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Form

(See Rule 5)

Sl. No.	Name and particulars of University proposed to be inspected	Period of proposed Inspection		Details of records/ papers required for Inspection	Name of the Members of the Inspection Committee constituted under Rule 3	Names and particulars of the authorities, officers, teachers of the University to be consulted/ associated under Rule 6	Any other additional information that may be required	Remarks
		From	To					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Secretary,
University Grants Commission

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.